जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 06-01-2021**

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10-10-10 लीटर (कुल 30 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 0 3 अभियुक्त नाम पता 1 – दूधनाथ पुत्र सोमई यादव निवासी पश्चिम टोला 2- रामसमुझ पुत्र पलटू निवासी अव्वल केवटलिया 3-ज्ञानचन्द उर्फ ज्ञानदास पुत्र सोहनलाल निवासी अव्वल केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 5/21, 6/21 व 7/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद, उ0नि0 श्री राधेश्याम प्रसाद, उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0का0 राम बहादुर यादव, का0 भानुप्रताप सिंह, का0 अनुज कुमार शर्मा, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 ब्रजेश वर्मा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 लड़कियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2545 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 6551 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में स्कूटी से 02 लड़कियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर घायल हुई लड़कियो को पीआरवी वाहन से जिला अस्पताल में इलाज करवाकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल लड़कियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 चन्द्रभान मिश्र , म0आ0 माधुरी मिश्रा, म0आ0 प्रेमा बिन्द, हो0चा0 सुनील पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनो से 56500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनो से 56500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।